पत्र संख्या–3/एम.–62/2008का. 10073/
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 18 दिसम्बर, 2008

विषय :– सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अर्हता की सशर्त्त छूट के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका–(2) (क) के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक को प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त रहना अपेक्षित है । समूह 'घ' (वर्ग–4) में नियुक्ति के लिए इस विभाग के पत्रांक 3577 दिनांक 25.04.97 तथा 7805 दिनांक 23.09.02 के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है । अतः अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' (वर्ग–4) में नियुक्ति हेतु भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण रहना आवश्यक है ।

2. राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय–XII की कंडिका–22 के तहत निम्नांकित अनुशंसा की गई है :–

"22, For Compassionate appointments, the Government has prescribed minimum qualification of 8th class passed. As all Maha Dalits are illiterates, their dependents up to 80% are not getting employment on compassionate ground. They shall be given Provisional employment with a condition they should get themselves literate within five years."

3. राज्य महादलित आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यकरुपेण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अष्टम वर्ग उत्तीर्ण) नहीं रहने पर भी इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षो के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे । 'साक्षरता' से आशय है पढ़ने–लिखने का ज्ञान ताकि वे अपना हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें । साक्षरता प्राप्त करने की उनके द्वारा सूचना दिये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं या प्राधिकृत पदाधिकारी से साक्षरता प्राप्त करने की जाँच कराकर संतुष्ट हो लेंगे । यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वे साक्षरता प्राप्त करने की सूचना नहीं देते हैं तो उनकी सेवा निर्धारित समय–सीमा पूरा होने पर स्वतः समाप्त समझी जाएगी ।

4. कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

D:\lockup\Dhar. Personnel\Sec.3\Rawat Jee\3C-148-07.doc